राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएं)
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.1(1)(13)स्था./आईसीडीएस/11/107015 जयपुर, दिनांक 21-12-2011

आदेश

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 के नियम 6 (1) (क) में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2010 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को कार्मिक (क–4/II) विभाग की अ.शा.टीप क्रमांक एफ. 7(7)डीओपी/ए–IV-II/2011 दिनांक 20–12–2011 के द्वारा इस विभाग को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य) सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 16800/– प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि होगी।

क्र. सं.	मैरिट नं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1	203	600197	रमेश चन्द्र बहेडिया पुत्र श्री शंकरलाल बहेडिया	सामान्य	14–02–1982	
2	212	400304	चक्रवती सिंह राठौड पुत्र श्री बदनसिंह राठौड	सामान्य, आर.जी.	24–01–1977	
3	214	500342	दिलीप सिंह गुप्ता पुत्र श्री शिवसिंह महाजन	सामान्य	05–07–1981	
4	225	300701	नरेन्द्र शेखावत पुत्र श्री भगवान सिंह शेखावत	सामान्य	02–08–1981	
5	227	701103	महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	सामान्य, आर.जी.	15–08–1974	
6	229	704970	बिजेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री बजरंग सिंह राठौड	सामान्य	26–07–1982	प्रोविजनल
7	233	706899	ऋचा चतुर्वेदी पत्नी श्री मनीष चतुर्वेदी	सामान्य महिला, एनजी, आरजी	24–09–1977	
8	260	100144	अश्विनी कुमार जोशी पुत्र श्री शिवदत्त जोशी	सामान्य, एनजी, आरजी	20–04–1980	
9	269	300183	सुखराम गोदारा पुत्र श्री नानुराम गोदारा	पिछडा वर्ग, आरजी	10–07–1979	
10	270	704670	प्रवेश कुमार सोलंकी पुत्र श्री सूरजपाल सिंह सोलंकी	सामान्य	13–06–1977	
11	274	100468	ओमप्रकाश पुत्र श्री रामदेव	पिछडा वर्ग	23–08–1978	
12	276	201063	पंकज कुमार द्विवेदी पुत्र श्री सीताराम द्विवेदी	सामान्य	15–03–1980	
13	281	301043	सुभाष विश्नोई पुत्र श्री शिवनारायण विश्नोई	पिछडा वर्ग	21–05–1987	
14	283	701608	तेज प्रकाश अग्निहोत्री पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्निहोत्री	सामान्य, आरजी	24–11–1978	

15	284	703738	अरूण अग्रवाल पुत्र श्री भरोसीलाल गुप्ता	सामान्य	06–12–1983	
16	289	705212	तन्वी रघुवंशी पुत्री श्री एम.एस.रघुवंशी	सामान्य महिला	04–02–1983	
17	291	707035	महेश शर्मा पुत्र श्री छीतरलाल शर्मा	सामान्य, एनजी, आरजी	25–08–1974	
18	296	704414	ललिता पुत्री श्री किदारसिंह	सामान्य महिला	10–07–1987	प्रोविजनल
19	312	401004	शोभा पुत्री श्री आवड़दान तोलेसर	पिछडा वर्ग महिला	17–05–1985	
20	324	704041	विजय कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद खिचड़	पिछडा वर्ग	25–01–1983	
21	325	700038	शक्ति सिंह हापावत पुत्र श्री अमर सिंह	पिछडा वर्ग, आरजी	03–07–1976	
22	347	706650	सुधीर कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	पिछडा वर्ग	11–04–1981	
23	355	700396	मंजू यादव पत्नी श्री श्रवण कुमार यादव	पिछडा वर्ग महिला, आरजी	05–07–1980	प्रोविजनल
24	365	600130	जुबेर चिश्ती पुत्र श्री कमरूद्दीन चिश्ती	पिछडा वर्ग, आरजी	14–01–1970	
25	381	300448	शक्ति सिंह कच्छावा पुत्र श्री चोरूलाल कच्छावा	पिछडा वर्ग, एनजी, आरजी	19–11–1978	
26	391	300963	ज्योति रेपस्वाल पुत्री श्री रामस्वरूप रेपस्वाल	पिछडा वर्ग महिला	14–11–1984	
27	413	301000	प्रियंका शर्मा पुत्री श्री हरविन्दर कुमार	सामान्य महिला	19–02–1984	
28	433	300248	ममता सारस्वत पत्नी श्री सुरेश कुमार सारस्वत	सामान्य महिला	08–01–1978	
29	462	101040	सीमा शर्मा पुत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा	सामान्य महिला, एनजी, आरजी	13–10–1977	
30	598	201199	श्याम बिहारी मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा	अनु. जनजाति	02–11–1980	
31	811	702291	सुरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सांवरमल मीणा	अनु. जनजाति, आरजी	16–08–1986	
32	962	702003	सत्यनारायण नावरिया पुत्र श्री सुखपाल नावरिया	अनु. जाति	21–01–1982	प्रोविजनल
33	1009	702069	मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा	अनु. जनजाति, एनजी, आरजी	15–07–1979	
34	1035	706148	जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा	अनु. जनजाति	11–07–1980	
35	1112	600393	योगेश सालवी पुत्र श्री गोवर्धन लाल सालवी	अनु. जाति	24–03–1984	
36	1134	600408	नन्दलाल मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल मेघवाल	अनु. जाति, आरजी	15–08–1980	
37	1242	701308	बन्टी कुमार बालोठिया पुत्र श्री श्यामलाल बालोठिया	अनु. जाति	24–04–1981	
38	1251	705982	प्रदीप कुमार घिलोटिया पुत्र श्री पूर्ण चन्द घिलोटिया	अनु. जाति, आरजी	03–07–1979	
39	1350	702424	सरोज मीणा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	अनु. जनजाति महिला	15–07–1981	
40	1502	704092	प्रियंका लकवाल पुत्री श्री प्रेमप्रकाश लकवाल	अनु. जाति महिला	24–08–1981	
41	1555	704849	नीरू सांखला पुत्री श्री ओमप्रकाश सांखला	अनु. जाति महिला, आरजी	21–09–1985	

2. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित स्पेशल अपील संख्या 18272–76/2008 और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित याचिका संख्या 6744/2008 तथा 11200/2010 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

3. क्रम संख्या 6, 18, 23 एवं 32 पर अंकित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनका चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर ही इनकी नियुक्ति वैद्य होगी।
4. इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वे हीं हैं जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों में उल्लेखित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 के भाग–IV के नियमों के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. यह नियुक्तियां उपरोक्त सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
7. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि, साथ ही सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
9. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलपब्ध कराने की व्यवस्था करें।
10. अभ्यर्थियों को दिनांक 27–12–2011 को प्रातः 9.30 बजे तक निश्चित रूप से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण कर लिया है, फाउण्डेशन कोर्स की अंकतालिका एवं लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 27–12–2011 को पूर्वान्ह में इस विभाग में उपस्थिति देवें।
11. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
12. विवाहित अभ्यर्थियों को फाउण्डेशन कोर्स हेतु प्रशिक्षण संस्थान/विभाग में उपस्थिति के समय विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. सरिता सिंह)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

—4—

क्रमांक–एफ.1(1)(13)स्था./आईसीडीएस/11/107016–116 जयपुर, दिनांक 21.12.2011

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

(1) विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
(2) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
(3) निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
(4) निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
(5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
(6) प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) विभाग, राज. जयपुर।
(7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
(8) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
(9) वरि. निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
(10) निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
(11) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
(12) निदेशालय के समस्त अधिकारीगण ....
(13) प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वैब साइट पर जारी करने हेतु।
(13) संबंधित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री ....
(14) व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली

निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर